Meticulous Investigation & Prosecution
BAGHPAT POLICE
"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में नाबालिग बच्चे के साथ गंभीर लैंगिक अपराध करने का प्रयास करने की घटना कारित करने के आरोपी मोना उर्फ खालिद को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 10 वर्ष के कठोर कारावास व 13000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-
अवगत कराना है कि अभियुक्त मोना उर्फ खालिद पुत्र युसूफ निवासी मौहल्ला कल्लरी कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत के द्वारा वादी के पांच वर्ष के नाबालिग बच्चे के साथ गंभीर लैंगिक अपराध करने का प्रयास करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 294/2023 धारा 377/511 भादवि व 5M/6/18 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन मे पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 07.09.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट-5 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त मोना उर्फ खालिद को दोषी पाते हुये 10 वर्ष का कठोर कारावास व 13 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।
नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल
श्री नरेंद्र सिंह पंवार विशेष लोक अभियोजक POCSO
उ0नि0 श्री रघुराज सिंह विवेचक
है0का0 रमेश कुमार कोर्ट पैराकार
@baghpatpolice
baghpatpolice
Baghpat Police

Meticulous Investigation & Prosecution
BAGHPAT POLICE
"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में हत्या की घटना कारित करने के आरोपी राजेन्द्र सिंह, प्रमोद व मनोज को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुई आजीवन कारावास व 35-35 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-
अवगत कराना है कि अभियुक्तों 1.राजेन्द्र सिंह पुत्र भगवान सिंह, 2.मनोज पुत्र राजेन्द्र व 3.प्रमोद पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम सलावतपुर खेडी थाना खेकडा जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2017 में हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 234/2017 धारा 147/148/149/302/307504/34 भादवि पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 07.09.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों राजेन्द्र सिंह, प्रमोद व मनोज को दोषी पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 35-35 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल
उ0नि0 शिवप्रकाश सिंह विवेचक
श्री अशोक सैनी एडीजीसी
है0का0 रमेश कुमार कोर्ट पैरोकार
Baghpat Police
baghpatpolice
@baghpatpolice

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम में आरोपी अनुज उर्फ गप्पी को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 05 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त अनुज उर्फ गप्पी पुत्र योगेश निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 118/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 07.09.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त अनुज उर्फ गप्पी को दोषी पाते हुए 05 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल

श्री इन्द्रपाल सिंह एडीजीसी

उ0नि0 श्री मुनेन्द्र कुमार विवेचक

है0का0 रविन्द्र कुमार कोर्ट पैराकार

@baghpatpolice | baghpatpolice | Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनांक 07.09.2026**

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 281/26 धारा 126(1)/115(2)/352/74/351(3) बी.एन.एस. में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 281/26 धारा 126(1),115(2), 352,74,351(3) में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

रोहित पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम पलडी थाना दोघट जनपद बागपत उम्र 36 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री राहुल प्रताप सिंह थाना बिनौली।
2-है0का0 222 अनुज कुमार थाना बिनौली।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकडा दिनाँक 07.09.2026

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र **अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस** द्वारा **चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को** गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से **01** अवैध **तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर** बरामद हुआ है।

उक्त के सम्बन्ध में थाना खेकडा **पर मु0अ0स0 320/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।**

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. समीर अंसारी पुत्र हवीब अंसारी उम्र करीब 21 वर्ष निवासी रावण उर्फ बडाँगाव थाना खेकडा जनपद बागपत

बरामदगी का विवरणः-

- **01** अवैध **तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर**।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस **टीमः-**

1-**उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह थाना खेकडा बागपत।**
2-**है0का0 396 नितेश कुमा थाना खेकडा बागपत।**
3-**है0का0 218 धर्मेन्द्र भाटी थाना खेकडा बागपत।**
4-**का0 724 कुशलपाल सिंह थाना खेकडा बागपत।**

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत   दिनाँक 07.09.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं स्वाट बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 519/26 धारा 103(1)238(क) बी.एन.एस का सफल अनावरण करते हुए अज्ञात महिला के शव की पहचान कराकर प्रकाश मे आये दो अभियुक्तों एक पुरूष व एक महिला (पति-पत्नी) को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.08.26 को थाना कोतवाली बापगत पर वादी सलाऊद्दीन पुत्र मजमूदीन निवासी ग्राम चौकीदार ग्राम काठा थाना व जिला बागपत ने लिखित तहरीर दी कि ग्राम काठा में हाईवे के किनारे क्रबिस्तान की दीवार के पास एक अज्ञात महिला का जला हुआ शव पडा है। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0स0 519/26 धारा 103(1) /238(क) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

घटना के अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा विभिन्न टीमों का गठन किया गया था। घटना के संबंध में निरंतर प्रयास किए गए, किन्तु 72 घंटे तक महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। फलस्वरूप थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अज्ञात महिला के शव का नियमानुसार अंतिम संस्कार कराया गया था।

कार्यवाही-

उपरोक्त अभियोग की विवेचना के दौरान थाना कोतवाली बागपत पुलिस व स्वाट टीम द्वारा लगभग 500 व 600 सीसीटीवी फुटेज तथा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, ईस्टर्न पैरीफेरल हाईवे, लोनी काठा मवीकलां टोल बैरियर से गुजरने वाले 1500 से 2000 वाहनो को सर्च किया गया। पतारसी सुरागरसी कि गयी तो एक संदिग्ध स्कूटी बिना नम्बर जिस पर एक महिला करीब दो वर्ष के बच्चे व स्कूटी चालक पुरूष दिखायी दी जिसको ट्रेश किया तो ज्ञात हुआ कि यह लोग शास्त्री पार्क जीरो पुश्ता न्यू उस्मान पुरी दिल्ली में किराये के मकान में निवास कर रहे थे और वहां से दिनांक 13.08.2026 को मकान खाली करके कहीं चले गये हैं। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उस मकान में अमन सागर अपनी पत्नी व एक लडकी परी उम्र 14 वर्ष तथा अपने 02 वर्ष के बच्चे सहित निवास करते थे। यह सभी लोग मथुरा के रहने वाले थे, जिनके आधार कार्ड मकान मालिक द्वारा प्रदान किये गये। मथुरा जाकर तस्दीक किया गया तो थाना हाईवे मथुरा से जानकारी प्राप्त हुई की लडकी परी उपरोक्त को भगा ले जाने के सम्बध में दिनांक 17.04.2026 को थाना हाईवे जनपद मथुरा पर परी के पिता पप्पू द्वारा मु0अ0सं0 346/26 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया। परी के पिता व अन्य स्थानीय लोगों से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि परी के घर के सामने अमन सागर व उसकी पत्नी कपडे की दुकान करते थे, जहाँ परी अमन के सम्पर्क में आ गयी थी और उसके घर पर उसके बच्चे के रखरखाव व घर के काम की देखभाल करती थी। दोनों में नजदीकिया बढने के कारण अमन अपनी पत्नी व परी सहित दिल्ली में किराये के मकान में रहने लगा। जब अमन की पत्नी को शक होने लगा तो अमन व उसकी पत्नी रचना में झगडा होने लगा तथा अमन के काम पर जाने के बाद अमन सागर की पत्नी व परी में भी आपस में झगडा होता था इसी बात को लेकर अमन ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर परी की गला दबाकर हत्या कर दी, उसके शव को बोरे में बन्द कर स्कूटी पर रखकर अमन व उसकी पत्नी ने काठा में हाईवे के किनारे फेककर उसके चेहरे पर पहचान छिपाने की नियत से तेजाब डालकर पैट्रोल से जला दिया था। उसके बाद किराये का मकान खाली कर हाथरस चले गये थे।

थाना कोतवाली बागपत पुलिस व स्वाट टीम द्वारा आज दिनांक 07.09.26 को अमन व उसकी पत्नी को लोनी बागपत बार्डर से घटना में प्रयुक्त स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया है अमन सागर जिम ट्रेनर का कार्य करता है।

नोट- उक्त घटना के सफल अनावरण हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ जोन, मेरठ द्वारा खुलासा करने वाली पुलिस टीम को ₹50,000 के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

शिनाख्त अज्ञात शव

अज्ञात महिला के शव की शिनाख्त परी पुत्री पप्पू निवासी बालाजीपुरम बडे हनुमान मन्दिर के पास थाना हाईवे मथुरा जनपद मथुरा उम्र करीब 14-15 वर्ष के रूप में हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.अमन सागर पुत्र स्व: राजेश कुमार निवासी शिवधाम कालोनी गौकुल बैराज औरगांबाद खादर जनपद मथुरा उम्र करीब 30 वर्ष

2. अमन सागर की पत्नी उम्र करीब 25 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- होन्डा एक्टिवा न0-UP85DA9802 घटना में प्रयुक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल थाना बागपत जनपद बागपत ।

2- उ0नि0 श्री रंजीत सिह प्रभारी स्वाट टीम जनपद बागपत ।

3-उ0नि0 श्री अकित चौहान थाना बागपत जनपद बागपत।

4-है0का0 339 राकेश कुमार थाना बागपत जनपद बागपत ।

5-है0का0 491 रामकुमार थाना बागपत जनपद बागपत।

6.का0 44 संजीव कुमार थाना बागपत जनपद बागपत ।

7.उ0नि0 श्री गौरव चौधरी स्वाट टीम जनपद बागपत ।

8.मु0आ0 370 दिलशाद अहमद स्वाट टीम जनपद बागपत

9.मु0अ0 49 प्रमोद कुमार स्वाट टीम जनपद बागपत

10.मु0आ0 469 नरेन्द्र नागर स्वाट टीम जनपद बागपत

11.मु0आ0 680 अमरजीत स्वाट टीम जनपद बागपत

12.आरक्षी 375 मोनू शर्मा स्वाट टीम जनपद बागपत

13.आरक्षी 720 प्रीतम सिंह स्वाट टीम जनपद बागपत

14. का0 402 विशाल पुनिया स्वाट टीम जनपद बागपत

उत्तर प्रदेश पुलिस